109

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

पुनर्विलोकन याचिका प्रकरण क्रमांक 53-दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.2011 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 554-तीन/2009/निगरानी।

.....

शिवेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र
श्री जमुना प्रसाद तिवारी,
निवासी ग्राम पलिया, तहसील मनगवा,
जिला रीवा (म0प्र0)

--- आवेदक

विरूद्ध

1- बृजेश तिवारी पुत्र श्री रामभुवन तिवारी,
2- बीरेन्द्र तिवारी पुत्र श्री रामभुवन तिवारी,
3- धर्मेन्द्र तिवारी पुत्र श्री रामभुवन तिवारी,
4- मु0 अर्मिला तिवारी पत्नी
स्व0 श्री रामभुवन तिवारी,
समस्त निवासीगण- ग्राम पलिया,
तहसील मनगवा, जिला रीवा (म0प्र0)
5- मध्य प्रदेश शासन

--- अनावेदकगण

श्री एस0एल0 धाकड़, अधिवक्ता - आवेदक,
श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता - अनावेदक क्रमांक 5
अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 सूचना उपरांत एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6./1../.2017..को पारित)

यह पुनर्विलोकन याचिका प्रकरण क्रमांक 554-तीन/2009/निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2- आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में बताया गया कि ग्राम पलिया का सर्वे नम्बर 76 रकवा 0.014 डिसमिल अनावेदकगण के स्वर्गीय पिता रामभुवन से दिनांक 14.10.1983 को जर्ये विक्रय कच्ची टीप पत्र राशि 4000/-रूपये समक्ष गवाह रामऔतार त्रिपाठी एवं रामकुमार त्रिपाठी के समक्ष विक्रयपत्र के लेख पर हस्ताक्षर किये थे, जो उपरोक्त दोनो साक्षीगण उस वक्त जीवित थे। उन साक्षियों के बैंक खाते की पास बुक की फोटो प्रति प्रस्तुत की, जो साक्षीगण रिटायर्टमेन्ट के बाद पेंशन निकालते थे, जो अभिलेख पर मौजूद है। साथ ही अभिभाषक ने यह भी बताया गया, कि न्यायालय तहसील रायपुर करचुलियान के प्रकरण क्रमांक 94/अ-6/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 16.07.1997 से आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया। आवेदक द्वारा उक्त विक्रय पत्र कच्ची लेख टीप स्टॉम्प ड्यूटी कीमती 10,682/- रूपये दिनांक 02.01.2008 को जमा की गयी तथा जिला पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु भेजने का आदेश दिया, जो अभिलेख से प्रकट है। आवेदक अभिभाषक ने यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा अपने आदेश में उपरोक्त विक्रय कच्ची लेख पत्र पर साक्षीगणों के हस्ताक्षरों को मृत बताकर आदेश पारित किया है, जबकि अभिलेख से प्रस्तुत उन साक्षियों की बैंक खाते की पास बुक से जीवित होना स्पष्ट दर्शित होता है। साथ ही आवेदक, अभिभाषक ने यह भी बताया गया कि अभिलेख में उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभिलेख की भूल के संबंध में न्यायदृष्टांत 1987 आर.एन.204, 1994 आर.एन.230, 1999 आर.एन.401 (एच.सी.), 2009 आर.एन.196, 2005 आर.एन. 72 प्रस्तुत किये गये। साथ ही आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्क में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को स्थिर रखा जावें एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2009 एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10. 2011को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3- अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 सूचना उपरांत पूर्व से एकपक्षीय है।

4- अनावेदक क्रमांक 5 शासकीय अधिवक्ता नें अपने तर्क में बताया गया है कि अभिलेख में पूर्व से ही साक्षीगणों की बैंक की पास बुक से स्पष्ट है कि उक्त विक्रय पत्र कच्ची लेख टीप के साक्षीगण रिटायर्टमेन्ट के बाद भी पेंशन ले रहे है। जो उनके जीवित रहने एवं हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते है। शासन इस प्रकरण में फार्ममल पक्षकार हैं। रिकॉर्ड के आधार पर आदेश पारित करने का निवेदन किया।

5- उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये। अधीनस्थ न्यायालयों रिकॉर्ड एवं इस न्यायालय के रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के

स्वर्गीय पिता रामभुवन से भूमि सर्वे क्रमांक 76 रकवा 0.014 डिसमिल दिनांक 14.10.1983 को विक्रयपत्र कच्ची लेखीय टीप दिनांक 14.10.1983 को रूपये 4,000/- में समक्ष गवाह रामकुमार त्रिपाठी एवं रामऔतार त्रिपाठी की बैंक पास बुक से रिटायर्टमेन्ट के बाद अपने हस्ताक्षर से पेंशन निकालना प्रमाणित है। जो विक्रयपत्र कच्ची लेख टीप के समय हस्ताक्षर किये है तथा रिकॉर्ड अवलोकन से यह भी पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधित नामान्तरण किये जाने के लिए उक्त विक्रय पत्र कच्ची लेखीय टीप की स्टॉम्प ड्यूटी कीमत 10,682/- दिनांक 02.01.2008 को जमा कराया गयी है। साथ ही जिला पंजीयक के समक्ष उक्त विक्रय कच्ची लेख को इम्पाउण्ड कराने का आदेश भी पारित किया है, जो उचित है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर करचुलियान द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2006 के द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है। न्यायालय अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड को अनदेखा कर पारित आदेश दिनांक 27.04.2009 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन याचिका स्वीकार की जाती है एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2011 निरस्त किया जाता है न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.07.1997 एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर करचुलियान के आदेश दिनांक 11.10.2006 को स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

एम.के. सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर